

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022—फाल्गुन 6, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

I, Nisha Kushwah W/o Narendra Kushwah residing at 5/1, Taty Sarwate Nagar, Pagnish Paga, Indore (M.P.)- 452001, do hereby declare that my maiden name is Nisha Maury D/o Ramesh Chandra Maury and after marriage dated 04-02-1995 my name is Nisha Kushwah, I state that Nisha Maury and the Nisha Kushwah is the name of one and the same person and that is myself.

Old Name

(NISHA MAURY)

(G-260)

New Name

(NISHA KUSHWAH)

5/1, Taty Sarwate Nagar,
Pagnish Paga, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, बल्ले खटीक पुत्र श्री भागीरथ खटीक सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम रतन सिंह खटीक था जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मुझे बल्ले खटीक के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम बल्ले खटीक के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. रतन सिंह खटीक एवं बल्ले खटीक मेरे ही नाम है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रतन सिंह खटीक के स्थान पर बल्ले खटीक लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

(रतन सिंह खटीक)

(G-261)

नया नाम

(बल्ले खटीक)

पुत्र श्री भागीरथ खटीक,

पता— वार्ड न. 06, आनंद वाली गली, भितरवार, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल करीम नबाब खान पुत्र श्री अब्दुल कदीर खान, आयु वयस्क, निवासी— ग्राम अर्जूनखेड़ी, पोस्ट धतुरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) हूँ कि सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि त्रुटिपूर्वक मेरा नाम नबाब खान पुत्र अब्दुल कदीर खान हो गया था. जिसे सुधार लिया गया. अतः भविष्य में मुझे अब्दुल करीम नबाब खान के नाम से सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(नबाब खान)

(अब्दुल करीम नबाब खान)

(G-262)

नाम परिवर्तन

मैं, जगमोहन गोयल पुत्र स्व. श्री केदारनाथ गोयल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम जगमोहन अग्रवाल था जो मेरे रजिस्ट्री पत्रक, बिजली का बिल एवं एल.आई.सी. पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में जगमोहन गोयल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक पासबुक में मेरा नाम जगमोहन गोयल लिखा है और भविष्य में भी मैं इसी नाम जगमोहन गोयल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा. जगमोहन अग्रवाल एवं जगमोहन गोयल मेरे ही नाम हैं अतः मेरे रजिस्ट्री पत्रक, बिजली का बिल एवं आई.सी. पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम जगमोहन अग्रवाल के स्थान पर जगमोहन गोयल लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

नया नाम

(जगमोहन अग्रवाल)

(जगमोहन गोयल)

(G-263)

पता— दुर्गा निवास, रोशनी घर रोड, इंदरगंज, लशकर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, सुमित गोयल पुत्र श्री जगमोहन गोयल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सुमित अग्रवाल था जो मेरे रजिस्ट्री पत्रक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में सुमित गोयल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक पासबुक में मेरा नाम सुमित गोयल लिखा है और भविष्य में भी मैं इसी नाम सुमित गोयल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा. सुमित अग्रवाल एवं सुमित गोयल मेरे ही नाम हैं अतः मेरे रजिस्ट्री पत्रक एवं अन्य प्रपत्र में मेरा नाम सुमित अग्रवाल के स्थान पर सुमित गोयल लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम

नया नाम

(सुमित अग्रवाल)

(सुमित गोयल)

(G-264)

पता— दुर्गा निवास, रोशनी घर रोड, इंदरगंज, लशकर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, रिया पंजवानी पत्नी श्री केशव पंजवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम रजनी पंजवानी था जो मेरी रजिस्ट्री पत्रक, बैंक खाता एवं एल.आई.सी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं रिया पंजवानी के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम रिया पंजवानी लिखा है और भविष्य में भी मैं इसी नाम रिया पंजवानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी.

रजनी पंजवानी एवं रिया पंजवानी मेरे ही नाम है अतः मेरी रजिस्ट्री पत्रक, बैंक खाता एवं एल.आई.सी. पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रजनी पंजवानी के स्थान पर रिया पंजवानी लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम
(रजनी पंजवानी)
(G-265)

नया नाम
(रिया पंजवानी)
पत्नी श्री केशव पंजवानी,
पता— कमल टाकीज रोड डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र.

उपनाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अंजना/अंजना गुप्ता पुत्री श्री बेचन प्रसाद गुप्ता दर्ज है. अब विवाहोपरांत मेरा नाम श्रीमती अंजना जौहरी पत्नी श्री राजेश जौहरी हो गया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम
(अंजना/अंजना गुप्ता)
पिता— श्री बेचन प्रसाद गुप्ता
(G-266)

नया नाम
(अंजना जौहरी)
पत्नी श्री राजेश जौहरी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम रामसभा बाई (RAMSABHA BAI) पिता सीताराम था. अब मैं, अपना नाम बदलकर शोभा देवी चौधरी (SHOBHA DEVI CHOUDHARY) पति दिनेश कुमार चौधरी करवाना चाहती हूँ. अब मैं, अपने नये नाम शोभा देवी चौधरी (SHOBHA DEVI CHOUDHARY) पति दिनेश कुमार चौधरी के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाऊंगी. सो विदित होंवें.

पुराना नाम
(रामसभा बाई)
(RAMSABHA BAI)
पिता सीताराम
(G-267)

नया नाम
(शोभा देवी चौधरी)
(SHOBHA DEVI CHOUDHARY)
पति दिनेश कुमार चौधरी,
पता— फ्लैट क्र. 203, ब्लॉक—ए, शेखर इन्क्लेव,
कनाडिया रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरी पक्षकारा का विवाह पूर्व नाम आशा सतवानी पिता दरियामल सतवानी रहा होकर विवाह पूर्व में मेरी पक्षकारा इसी नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती थी व मेरी पक्षकारा के शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों व विवाह पूर्व सभी दस्तावेजों में भी यही नाम दर्ज है, किन्तु मेरी पक्षकारा का विवाह दिनांक 23.07.2008 को प्रकाश पमनानी पिता वाधुमल पमनानी निवासी आगरा (उ.प्र.) के साथ हो जाने के पश्चात् मेरी पक्षकारा का परिवर्तित कर लिया होकर मेरा नाम श्रीमती निवेदिता पमनानी पति प्रकाश पमनानी के नाम से जानी, पहचानी जाती थी, लेकिन मेरी पक्षकारा का मेरी पक्षकारा के पति से न्यायालय प्रधान न्यायधीश कुटुम्ब न्यायालय रतलाम के प्रकरण क्र. 67—ए—2021 में पारित निर्णय दिनांक 03—09—2021 से विवाह विच्छेद हो चुका है. इस प्रकार मेरी पक्षकारा श्रीमती निवेदिता पमनानी एवं आशा सतवानी दोनों एक ही महिला होकर मेरी पक्षकारा के ही नाम है. अब मेरी पक्षकारा को आशा सतवानी के नाम से पहचाना जावे. सूचित हो.

पुराना नाम
(निवेदिता पमनानी)
(G-268)

नया नाम
(आशा सतवानी)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी शैक्षणिक अंकसूची, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम ओम वाल्मिकी दर्ज है जो कि गलत है. मेरा वास्तविक नाम ओम सिंह है जो कि मेरी जाति प्रमाण-पत्र में भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ओम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

अपना सरनेम परिवर्तन करने हेतु कार्यालय नगर निगम भोपाल से अनुमति प्राप्त कर ली गई है तथा उपनाम परिवर्तन के संबंध में किसी भी वाद विवाद के लिए मैं, स्वयं जिम्मेदार रहूंगा.

पुराना नाम

(ओम वाल्मिकी)
पिता श्री महेन्द्र सिंह

नया नाम

(ओम सिंह)
पिता श्री महेन्द्र सिंह
पता-नं. 46, कैम्प नम्बर 12 बैरागढ़.

(G-269)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम प्रशांत कुमार दुबे और रोली शिवहरे के विवाह (दिनांक 24-05-2010) के उपरांत दिनांक 29-03-2015 को जन्मे पुत्र जिसका वर्तमान नाम राग है, और वह इसी नाम से जाना, पहचाना जाता है. महत्वपूर्ण दस्तावेजों में हमारे पुत्र का नाम राग अंकित हैं, लेकिन स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम राग दुबे अंकित हो गया है. हम संयुक्त सहमति से अपने पुत्र का नाम राग/राग दुबे से बदलकर राग अमन करवाना चाहते हैं एवं भविष्य में भी हमारा पुत्र राग अमन के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा. भविष्य में भी हमारे पुत्र के बनने वाले सभी आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में हमारे पुत्र का नाम राग अमन ही अंकित किया जाएगा, जिसकी सार्वजनिक सूचना हेतु यह सूचना प्रकाशित की जा रही है.

पुराना नाम

(राग/राग दुबे)
पिता प्रशांत कुमार दुबे
(G-270)

नया नाम

(राग अमन)
पिता प्रशांत कुमार दुबे

नाम परिवर्तन

मैं, अनन्या जैन पुत्री श्री रूपेश जैन, पता- 14, दुर्गापुरी तानसेन रोड, ग्वालियर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पिता श्री रूपेश जैन ने मेरे नाम से भारतीय जीवन बीमा की एक पॉलिसी ली थी, जिसका क्रमांक 202197679 दिनांक 28-01-2005 है, जिसमें मेरा घरेलू नाम रिषिता जैन अंकित है. जबकि समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अनन्या जैन अंकित है. उपरोक्त वर्णित पॉलिसी में मेरा नाम रिषिता जैन के स्थान पर अनन्या जैन अंकित किया जाकर रिकॉर्ड पर लिया जाये.

पुराना नाम

(रिषिता जैन)
(G-271)

नया नाम

(अनन्या जैन)
पुत्री श्री रूपेश जैन,
पता- 14, दुर्गापुरी तानसेन रोड, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, रामू प्रसाद अहिरवार पिता श्री कंसु लाल अहिरवार उम्र 54 वर्ष निवासी नेहा नगर मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम अरमान अहिरवार था, यह की मेरे पुत्र के समस्त प्रमाण-पत्रों दस्तावेजों एवं समस्त अन्य प्रपत्रों में मेरे पुत्र का नाम अरमान अहिरवार दर्ज है, यह की भविष्य में मेरे पुत्र को पुराने नाम अरमान अहिरवार के स्थान पर नए नाम आदित्या वर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे, अरमान अहिरवार और आदित्या वर्मा दोनों मेरे पुत्र के ही नाम है, यह की मेरे पुत्र का नया नाम मेरे पुत्र के सभी कार्यालयीन एवं गैर कार्यालयीन दस्तावेजों में समझा जाए, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

पुराना नाम

(अरमान अहिरवार)

नया नाम

(आदित्या वर्मा)
(AADITYA VERMA)

(G-272)

CHANGE OF NAME

I, Karuna Shewani W/o Anil Shewani residing at 32/3, Bairathi Colony no.1, Near Sahil Appartment, Indore (M.P.)- 452001, do hereby declare that my maiden name is Rekha Mata D/o Murlidhar Mata and after marraige dated 08-02-1987 my name is Karuna Shewani, I State that Rekha Mata and the Karuna Shewani is the name of one and the same person and that is myself.

Old Name

(Rekha Mata)

New Name

(Karuna Shewani)

32/3, Bairathi Colony no.1, Near
Sahil Appartment, Indore (M.P.)- 452001.

(G-273)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र की 10वीं की अंकसूची में मेरे पुत्र का नाम दुर्गेश अहिरवार पिता बबलू अहिरवार एवं माता का नाम रेखा अहिरवार के स्थान पर दुर्गेश बिरदे पिता बबलू बिरदे एवं माता का नाम रेखा बिरदे अंकित हो गया है. अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों तथा अंकसूची में मेरे पुत्र के नये नाम दुर्गेश अहिरवार पिता बबलू अहिरवार एवं माता का नाम रेखा अहिरवार से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(दुर्गेश बिरदे)

नया नाम

(दुर्गेश अहिरवार)

(G-274)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम छट्टू विश्वकर्मा (Chhatthoo Vishwakarma) पिता स्वर्गीय श्री रामनारायण विश्वकर्मा आयु-वयस्क, निवासी 114-A/2 बी सेक्टर, गोपाल नगर, खजूरीकला, भेल, भोपाल है जो कि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में दर्ज-अंकित है, परन्तु मेरे सभी रिश्तेदार, मित्र, एवं जान-पहचान वाले लोग मुझे मेरे चलित नाम कुणाल विश्वकर्मा (Kunal Vishwakarma) के नाम से जानते तथा पहचानते हैं.

अतः जहां पर भी मेरा नाम छट्टू विश्वकर्मा (Chhatthoo Vishwakarma) दर्ज है उसके स्थान पर कुणाल विश्वकर्मा (Kunal Vishwakarma) मान्य किया जाए एवं भविष्य में सभी स्थानों पर मेरा चलित नाम कुणाल विश्वकर्मा (Kunal Vishwakarma) पढ़ा जाए एवं संबोधित किया जाए.

पुराना नाम

(छट्टू विश्वकर्मा)
(Chhatthoo Vishwakarma).

नया नाम

(कुणाल विश्वकर्मा)
(Kunal Vishwakarma)
114-A/2 बी सेक्टर, गोपाल नगर,
खजूरीकला, भेल, भोपाल

(G-275)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रेनु बिखानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम रेनु नरसिंघानी पुत्री महादेव नरसिंघानी था. मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र जैसे अंकसूचियों, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि में पूर्व का नाम अंकित है, मेरा विवाह सिंधी रीति-रिवाज से दिनांक 05-12-2005 को श्री संदीप बिखानी के साथ हो गया है. शादी के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती रेनु बिखानी पत्नी श्री संदीप बिखानी हो गया है. तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जायें एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम

नया नाम

(रेनु नरसिंघानी)

(रेनु बिखानी)

(G-276)

निवासी-सी-206, इन्द्रविहार कालोनी,
गर्ल्स स्कूल के पास, एयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभद्रा तिवारी पत्नी श्री सुरेशचन्द्र तिवारी आयु- वयस्क निवासी- 223, बी- सेक्टर, इन्द्रपुरी, भोपाल (म.प्र.) की हूँ, मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सुनीता दर्ज हो गया है. जहां कहीं भी मेरा नाम सुनीता दर्ज है. उसके स्थान पर सुभद्रा तिवारी पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(सुनीता)

(सुभद्रा तिवारी)

(G-277)

नाम परिवर्तन

मैं, ROHAN SAHA पिता श्री JOYANTA KUMAR SAHA उम्र-19 वर्ष, पेशा अध्ययनरत, निवासी-125/1, पुष्पक नगर अधारताल जबलपुर में स्थायी रूप से निवासरत हूँ और केंद्रीय विद्यालय क्र.1 जबलपुर से मुझे प्राप्त कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची, सर्टीफिकेट एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम सदभाविक त्रुटिवश JOYANTA SAHA दर्ज हो गया है. जिस कारण से मुझे, मेरा वास्तविक नाम ROHAN SAHA पिता श्री JOYANTA KUMAR SAHA दर्ज कराना है और भविष्य में मुझे मेरे इसी वास्तविक नाम ROHAN SAHA पिता श्री JOYANTA KUMAR SAHA से ही जाना, पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(ROHAN SAHA)

(ROHAN SAHA)

पिता श्री JOYANTA SAHA

पिता श्री JOYANTA KUMAR SAHA

निवासी-125/1 पुष्पक नगर अधारताल जबलपुर.

(G-278)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शपथकर्ता धर्मेन्द्र सिंह रावत के पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र जिसकी पंजीकरण संख्या B-2019 23-90871-003985 जारी दिनांक 05-07-2019 है जिसके जन्म प्रमाण-पत्र में पुत्र का नाम धानेश रावत अंकित है. चूंकि शपथकर्ता अपने पुत्र का नाम परिवर्तन करारकर शिवांश रावत अंकित करवाना चाहता है. अतः शपथकर्ता के पुत्र का नाम जन्म प्रमाण में परिवर्तन कर शिवांश रावत अंकित किया जाए तथा भविष्य में शपथकर्ता के पुत्र को शिवांश रावत के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

शपथकर्ता

धर्मेन्द्र सिंह रावत

पुत्र श्री हरमजन सिंह रावत

ग्राम तिलैथा, जिला दतिया (म.प्र.).

(G-279)

CHANGE OF NAME

I, NEERU BEN MISTRY W/o BHARAT KUMAR BHARDWA R/o 11D SECTOR C SCHEME 71 SHRIJI VATIKA KE PICHE INDORE M.P. CHANGED MY NAME TO NEERU BEN BHARDWA FOR ALL PURPOSES WHATSOEVER.

Old Name

(NEERU BEN MISTRY)

(G-280)

New Name

(NEERU BEN BHARDWA)

CHANGE OF NAME

I, Mrs. Ginni Khilwani W/o Mr. Praveen Khilwani R/o 27-A, Sahara Parisar Colony Idgah Hills, Near Saint Joseph Convent School, Bhopal (M.P.), hereby declare that I was born in Bhopal, M.P. (India) on 11-10-1995, before marriage my name was Ku. Twinkle Kingrani D/o Mr. Dayanand Kingrani. I got married according to Hindu Customs on dt. 29th November 2021 with Mr. Praveen Khilwani & After Marriage My name has been changed as Mrs. Ginni Khilwani W/o Mr. Praveen Khilwani, after marriage I known as Mrs. Ginni Khilwani W/o Mr. Praveen Khilwani for all purposes on every records.

Old Name

(Twinkle Kingrani)

(G-281)

New Name

(Ginni Khilwani)

R/o- 27-A, Sahara Parisar Colony Idgah Hills,

Near Saint Joseph Convent School,

Bhopal (M.P.)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र काटकर पिता स्व. बाजीराव काटकर वर्तमान में 6वीं बटालियन वि.स.बल रांझी जबलपुर में एस.टी.एफ. कम्पनी में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ.

मेरी सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में मेरा नाम राजेन्द्र कुमार काटकर दर्ज है जिसमें कुमार अतिरिक्त दर्ज है एवं मेरे सभी अंकसूचियों में राजेन्द्र नाम दर्ज है जो कि अधूरा है. मेरा सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र काटकर है जो कि मेरे अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक में दर्ज है.

पुराना नाम (राजेन्द्र कुमार काटकर) (G-282)	नया नाम (राजेन्द्र काटकर)
--	------------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना घर का नाम JAI KUMAR RAJPUT था इसी नाम से मेरी एक एलआईसी की पॉलिसी है, वर्तमान में अब मैंने अपना नाम बदलकर JAI RAJ SINGH KIRAR रख लिया है, तथा मेरे समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं बैंक पासबुक, मार्कशीट इत्यादि में मेरा नया नाम JAI RAJ SINGH KIRAR S/o SANJAY SINGH RAJPUT दर्ज है. JAI KUMAR RAJPUT तथा JAI RAJ SINGH KIRAR मुझे एक ही व्यक्ति के नाम है. भविष्य में मुझे मेरे नये नाम JAI RAJ SINGH KIRAR के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा लिखा एवं समझा जावे.

पुराना नाम (जय कुमार राजपूत) (JAI KUMAR RAJPUT) (G-283)	नया नाम (जय राज सिंह किरार) (JAI RAJ SINGH KIRAR) पता-1/19, शब्दप्रताप आश्रम, ग्वालियर (म.प्र.).
--	---

CHANGE OF NAME

I, Gokul Nair/गोकुल नायर aged about 28 years S/o. Late Mr. G.K. Nair Occupation- I.T. Employee, R/o Flat No. 306, Apeksha Appartment, Behind Gorakhpur Gurudwara, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) states that my name as record is Gokul Nair/गोकुल नायर that I have changed my name as Gokul Singh Nair/गोकुल सिंह नायर on 5th Dec. 2021. I State that Gokul Nair & Gokul Singh Nair/ गोकुल सिंह नायर is the name of one and same person and that is myself.

Old Name (Gokul Nair) (G-284)	New Name (Gokul Singh Nair)
-------------------------------------	--------------------------------

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शादी के पूर्व चंदादेवी था तथा शादी के बाद मेरा नाम चंद्रशीला भाटी हो गया है तथा मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम चंद्रशीला भाटी ही हैं. यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर मुझे वर्तमान में चंद्रशीला भाटी के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है. सो सूचित हो.

पुराना नाम (चंदादेवी) पति-श्री गेंदालाल जी भाटी (G-285)	नया नाम (चंद्रशीला भाटी) पति-श्री गेंदालाल जी भाटी, निवासी- 149 विद्यापति नगर, नानाखेडा उज्जैन.
--	---

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में माँ शारदा स्टोन क्रेसर पता-महाराजा कॉलेज के सामने अक्कीबाई कॉलेज के पास जिला छतरपुर मध्यप्रदेश है. जिसका पंजीयन क्र. 06/12/01/00075/10 है. फर्म में दिनांक 26-8-2010 से श्री दीपक दुबे 25% के पार्टनर थे तथा जिनका स्वर्गवास दिनांक 6-10-2019 को हो गया था. फर्म में उनके उत्तराधिकारियों एवं परिवार की सहमति अनुसार उनका हिस्सा श्रीमती आशा दुबे को हस्तांतरित कर दिया है. जिसका भागीदारी विलेख बचे हुए हिस्सेदारों के साथ दिनांक 21-10-2019 को कर लिया गया था. अतः सर्वसाधारण सूचित हों.

वास्ते-माँ शारदा स्टोन क्रेसर
स्वदेश दुबे.
भागीदार

(G-286)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विन्ध्या डेवलपर्स सतना पंजीयन क्रमांक री.सं. 34 दिनांक 9-8-2004 द्वारा पंजीकृत है, जिसमें निम्न भागीदारः—(1) श्री महेश कुमार आवतवानी, (2) श्रीमती वन्दना गुप्ता, (3) श्री अजय कुमार चन्दानी, (4) श्री सतीश कुमार सुखेजा है, उक्त में से (1) श्रीमती वन्दना गुप्ता, (2) श्री अजय कुमार चन्दानी, (3) श्री सतीश कुमार सुखेजा दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को उक्त फर्म से पृथक् हो गये हैं, उनकी लेनदारियां एवं देनदारियां शेष नहीं हैं, उक्त फर्म में (1) श्री नितिन कुमार शुक्ला आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला सानिक 259/2, पतेरी महदेवा सतना, (2) श्री विपिन कुमार शुक्ला आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला सानिक 259/2, पतेरी महदेवा सतना दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. साथ ही फर्म के कार्यालय का नवीन पता-मेसर्स विन्ध्या डेवलपर्स, यू.सी. किन्डी प्ले स्कूल, दुर्गा माता मन्दिर के सामने, विराट नगर, सतना (म. प्र.) हो गया है. अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 05 (पांच) दिवस के अन्दर इस पते पर सूचित करें, वाद समाप्त म्याद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी.

महेश कुमार आवतवानी
नितिन कुमार शुक्ला
विपिन कुमार शुक्ला
पार्टनर

पता : वास्ते : मेसर्स विन्ध्या डेवलपर्स
यू. सी. किन्डी प्ले स्कूल,
दुर्गा माता मन्दिर के सामने,
विराट नगर, सतना (म. प्र.)

(G-287)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स पता : समदड़िया हाऊस, रसल चौक, जबलपुर (मध्यप्रदेश) के नाम से एक भागीदार फर्म हैं.

इस फर्म का दिनांक 31 जनवरी 2008 में भागीदारी फर्म के रूप में निर्माण हुआ जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00106/08 सन् 2007-2008 से फर्मों के रजिस्ट्रार जबलपुर संभाग में पंजीकृत हैं.

इस फर्म से दिनांक 7 जुलाई 2021 से एक भागीदार श्रीमति विभा समदड़िया पति श्री किशोर समदड़िया निवासी-16, सराफा बाजार, जबलपुर (म. प्र.) अपनी स्वेच्छा से निकल रही है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 7-7-2021 से एक भागीदार श्री श्री कुबेर समदड़िया आत्मज श्री किशोर समदड़िया निवासी-16, सराफा बाजार, जबलपुर (म. प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 7 जुलाई 2021 से संशोधन के उपरान्त दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस समदड़िया हाऊस, रसल चौक, जबलपुर (म. प्र.) स्थित है.

सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी

मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स
किशोर समदड़िया
(पार्टनर).

(G-288)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सतगुरु इंडस्ट्रीज फर्म जिसका पता 601-ए, ऐरन हाइट्स, पी. यू. 3 स्कीम नंबर 54, ए.बी. रोड, इन्दौर (म. प्र.) 452001 जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0284/19, दिनांक 22 फरवरी 2019 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री बद्रीलाल बंसल पिता श्री मोहनलाल बंसल, 2. श्री राजेश बंसल पिता श्री मोहनलाल बंसल थे। तत्पश्चात् दिनांक 1 जुलाई 2019 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री कुंज बंसल पिता श्री राजेश बंसल भागीदारी फर्म सतगुरु इंडस्ट्रीज में सम्मिलित हुए थे। अब दिनांक 20-1-2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा भागीदारी फर्म का नाम परिवर्तित करके पायनियर इंडस्ट्रीज किया गया।

यह विदित हो.

तर्फे

सतगुरु इंडस्ट्रीज (अब पायनियर इंडस्ट्रीज)

1. श्री बद्रीलाल बंसल पिता श्री मोहनलाल बंसल
2. श्री राजेश बंसल पिता श्री मोहनलाल बंसल
3. श्री कुंज बंसल पिता श्री राजेश बंसल

(G-289)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स ग्रीन सिटी पता: 16, सराफा बाजार, जबलपुर (म. प्र.) के नाम से एक भागीदार फर्म हैं।

इस फर्म का दिनांक 14 सितम्बर 2005 में भागीदारी फर्म के रूप में निर्माण हुआ जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00081/05 सन् 2005-2006 से फर्मों के रजिस्ट्रार जबलपुर संभाग में पंजीकृत हैं।

इस फर्म से दिनांक 7 जुलाई 2021 से एक भागीदार श्रीमति विभा समदड़िया पति श्री किशोर समदड़िया निवासी-16, सराफा बाजार, जबलपुर (म. प्र.) अपनी स्वेच्छा से निकल रही है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 7 जुलाई 2021 से एक भागीदार श्री कुबेर समदड़िया आत्मज श्री किशोर समदड़िया निवासी-16, सराफा बाजार, जबलपुर (म. प्र.) शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 7 जुलाई 2021 से संशोधन के उपरान्त दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 16, सराफा बाजार, जबलपुर (म. प्र.) स्थित है।

सर्वसाधारण को सूचना हेतु जारी

मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स ग्रीन सिटी
किशोर समदड़िया
(पार्टनर)

(G-290)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पितांबर वेयर हाउस, ग्राम आजमपुरा, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) की भागीदार श्रीमती प्रेमलता शर्मा पति श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 5/6 कन्हैयालाल मनाना मार्ग, गोलामंडी, उज्जैन इनकी स्वेच्छा व निजी व्यवस्था के चलते फर्म से दिनांक 17 दिसम्बर 2021 से पृथक हो गई है। फर्म की सम्पत्ति दायित्व में उक्त दिनांक से श्रीमती प्रेमलता शर्मा का कोई हक, हित, अधिकार, स्वत्व, हिस्सा नहीं रह गया है और न ही फर्म या फर्म के व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन इनका बकाया है। श्रीमती प्रेमलता शर्मा उक्त फर्म से सर्वरूपेण मुक्त व पृथक् हो चुका है। इनके स्थान पर उक्त फर्म में श्रीमती प्रकाश बाई पति श्री द्वारका प्रसाद शर्मा निवासी 95 गोंदा चौकी, उज्जैन (मध्यप्रदेश) दिनांक 17 दिसम्बर 2021 से भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई है। आज से फर्म में 6 भागीदारान श्रीमती सरोज त्रिपाठी, श्रीमती प्रकाश बाई शर्मा, श्रीमती प्रीती शर्मा, श्रीमती सरोज अग्रवाल, श्रीमती वंदना परमान, श्रीमती प्रीति मिश्रा ही होंगे। अतः उक्त दिनांक से भविष्य में सर्वसाधारण इन 6 भागीदारों से ही समस्त व्यवसायिक व्यवहार संव्यवहार लेन-देन करें।

मेसर्स पितांबर वेयर हाउस
द्वारा भागीदार-श्रीमती प्रकाश बाई पति श्री द्वारका प्रसाद शर्मा
ग्राम आजमपुरा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)।

(G-291)

NOTICE U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT

As per Section 72 of the Indian Partnership Act, with effect from 11-07-2018 (1) Rajesh Sharma has retired from M/S. Parmeshwar Enterprises, 371 B Tulsi Nagar Indore, Madhya Pradesh (firm registration number is 03/27/01//0032/18) and in his place (1) Ritik Jaiswal was admitted into the partnership of the above-mentioned firm M/S. Parmeshwar Enterprises, 371 B Tulsi Nagar, Indore, Madhya Pradesh with effect from 11-07-2018 Now (1) Mamta Sharma and (2) Ritiks Jaiswal are working partners of the firm.

For Parmeshwar Enterprises,
Mamta Sharma
Partner.

(G-292)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स विन्ध्याचल ब्रदर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 01/03/01/00272/09 दिनांक 13-02-2009 है जिसका पंजीकृत पता.—सी/ओ विन्ध्याचल ढाबा, पटवारी हल्का नं. 10 होशंगाबाद रोड, औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन, मध्यप्रदेश है जिसमें दिनांक 05-01-2022 को भागीदार श्री सुरजीत सिंह गिल पिता स्व. श्री दर्शन सिंह गिल अपनी स्वयं की इच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

गुरमीत कौर (भागीदार)
मेसर्स विन्ध्याचल ब्रदर्स
सी/ओ विन्ध्याचल ढाबा, पटवारी हल्का नं. 10
होशंगाबाद रोड, औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन, मध्यप्रदेश.

(G-293)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स द स्काई लाईन्स रियल इस्टेट भोपाल भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन श्री तरुण शुक्ला एवं श्री अजय दुबे के मध्य पंजीयन क्र. 443 दिनांक 20 फरवरी 1997 पर पंजीयत फर्म है जिसका पंजीकृत पता-148, मालवीय नगर, भोपाल मध्यप्रदेश है. श्री तरुण शुक्ला का दिनांक 30 मई 2012 को निधन होने से डीड दिनांक 27 जनवरी 2022 द्वारा श्री तरुण शुक्ला को दिनांक 30 मई 2012 को फर्म से पृथक हो गये एवं मास्टर अर्जुन शुक्ला को अवयस्क भागीदार के रूप में शामिल किये गये जो कि दिनांक 28 जुलाई 2017 को पूर्ण भागीदारी हो चुके हैं एवं श्रीमती सोनिका दुबे को नये भागीदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

सोनिका दुबे (भागीदार)
मेसर्स द स्काई लाईन्स रियल इस्टेट भोपाल
148, मालवीय नगर, भोपाल मध्यप्रदेश.

(G-294)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इंदौर स्काय होम एसोसिएट्स एण्ड बिल्डर्स पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इंदौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को श्रीमती आकांक्षा सरावगी पिता श्री महेश चंद्र सोनी, 377, गोयल नगर, इंदौर ने फर्म से भागीदार के रूप में त्यागपत्र दिया होकर फर्म से पृथक हो गयी है एवं फर्म में श्री विकास शर्मा पिता श्री शिवकृष्ण शर्मा, एन-55, वार्ड नं 47, आज़ाद नगर, रामेश्वर वार्ड, खण्डवा नए साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है.

तर्फे:—इंदौर स्काय होम एसोसिएट्स एण्ड बिल्डर्स,
पारस सरावगी,
साझेदार.

(G-295)

आम सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सावला इंडस्ट्रीज, 22, पार्वती वेयर हाउस के पास, भाण्डेर रोड इन्दरगढ़, सेवड़ा, दतिया, मध्यप्रदेश में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/39/02/0193/21 व पंजीयन दिनांक 23 सितम्बर 2021 है, उक्त फर्म में दिनांक 30 सितम्बर 2021 को रामकुमार गुप्ता पुत्र श्री रामजी शरण गुप्ता, उम्र 48 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 07, अम्बेडकर पार्क, शीतला गंज, इन्दरगढ़, जिला दतिया, मध्यप्रदेश अपनी इच्छा से पृथक हो रहे हैं, तथा इसी दिनांक 30 सितम्बर 2021 को पार्टनर-2 के रूप में श्रीमती आराधना गुप्ता पत्नि श्री रामकुमार गुप्ता, उम्र 47 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 05, शीतला गंज, इन्दरगढ़, जिला दतिया, मध्यप्रदेश इस फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, जिसकी सूचना सर्वसाधारण को प्रस्तुत है।

वास्ते
मेसर्स सावला इंडस्ट्रीज
प्रिंस गुप्ता-पार्टनर-1
श्रीमती आराधना गुप्ता-पार्टनर 2

(G-296)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नव निर्माण बिल्डर्स इंडी. राजेश मिश्रा, साहू बिल्डिंग, गुजराती बाजार, सागर, मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 06-09-00091-11 सन् 2011-2012 दिनांक 17-10-2011 पर पंजीकृत है. उक्त फर्म में पंजीयन के समय मेसर्स बाहूबली बिल्डिंग एण्ड कॉलोनाईजर्स सागर द्वारा भागीदार श्री राजकिशोर पुरोहित, श्री राजेश कुमार मिश्रा, श्री रमेश कुमार रावत, श्री रामशंकर तिवारी, श्री मयंक रावत, श्री श्रीलाल जैन भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 28-01-2016 को संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है. मेसर्स बाहूबली बिल्डिंग एण्ड कॉलोनाईजर्स सागर का नाम विलोपित किया. फर्म में श्री दिनेश कुमार जैन, श्री आशीष कुमार जैन, श्री आकाश कुमार जैन, रेशु जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्री राजकिशोर पुरोहित, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रागनी दुबे, श्री राजकुमार जैन, श्री गुलाब पटेल व श्री खेमचंद पटेल फर्म के भागीदार में सम्मिलित किया गया उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 22-03-2019 को श्री अनिल कुमार जैन तनय स्व. श्री शिखरचंद जैन के मृत्यु होने के कारण फर्म के भागीदार से पृथक हो गया. दिनांक 23-03-2019 को श्रीमती लक्ष्मी जैन पति स्व. श्री अनिल कुमार जैन को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. जिसका संशोधन विलेख दिनांक 22-04-2019 को संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है. फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है.

राजेश कुमार मिश्रा (भागीदार)
मेसर्स नव निर्माण बिल्डर्स
इंडी. राजेश मिश्रा, साहू बिल्डिंग, गुजराती बाजार, सागर, मध्यप्रदेश.

(G-297)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s K. B. S. SECURITY AGENCY पता-मकान नं. 187, बी-सेक्टर, श्रीरामेश्वरम कालोनी, बागमुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल पंजी. क्र. 01/01/01/00051/11 दिनांक 03-05-2011 है. दिनांक 11-06-2021 को 1. Shri Anoop Shrivastava S/o Late Shri Krishna Bahadur Shrivastava, R/o A-8, Amernath Colony, Kolar Road Bhopal (Madhya Pradesh) भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 11-06-2021 को 1. Smt. Reena Shrivastava D/o Late Shri Narayan Singh Tomar R/o 187, Sector-B, Shree Rameshwaram Colony, Bag Mugaliya Bhopal (Madhya Pradesh) भागीदारी फर्म में शामिल हुई.

Akhil Shrivastava
Partner
मेसर्स के. बी. एस. सिक्यूरिटी एजेंसी,
पता-मकान नं. 187, बी-सेक्टर, श्रीरामेश्वरम कालोनी,
बागमुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल.

(G-298)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शक्ति फिलिंग सेन्टर, पंजीयन क्रमांक 04/16/04/00019/14 सन् 2014-2015 दिनांक 06-05-2014 पता-ग्राम बोहानी, गाडरवारा, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश है. यह कि, संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 16-04-2016 के अनुसार श्री अजय राज ममार आत्मज श्री तेजराम ममार जी का स्वर्गवास दिनांक 15-04-2016 को होने के कारण इनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में उनकी धर्मपत्नि श्रीमती सुरेखा ममार पति स्व. श्री अजय राज ममार जी को भागीदारी फर्म में दिनांक 16-04-2016 को सम्मिलित किया गया है तथा संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 30 सितम्बर 2021 के अनुसार भागीदारी फर्म में श्री ऋषिराज ममार आत्मज श्री हेमराज ममार को दिनांक 30 सितम्बर 2021 को तीसरे भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उक्त फर्म में परिवर्तित भागीदार, नये एवं निर्वत भागीदार से फर्म से सम्बन्धित कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा किसी व्यक्ति, शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था, बैंक आदि का हित प्रभावित होता है तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें. समय व्यतीत होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति उक्त फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी.

(श्रीमति विनिता ममार)
भागीदार
शक्ति फिलिंग सेन्टर,
बोहानी, जिला-नरसिंहपुर.

(G-299)

मध्यप्रदेश, वक्फ बोर्ड, भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)

ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल

क्र. 42/आर-गुना/2021

भोपाल, दिनांक

(अंतर्गत धारा 41 वक्फ अधिनियम 1995)

वक्फ ख्वाजा मस्जिद राधोगढ़ गुना में श्री कदीर अहमद प्रबंधक वक्फ ख्वाजा मस्जिद राधोगढ़ गुना, निवासी-ख्वाजा मस्जिद के पास राधोगढ़ गुना द्वारा उक्त वक्फ पंजीयन क्रमांक 13/06 पर पंजीकृत वक्फ ख्वाजा मस्जिद राधोगढ़ गुना की भूमि पर निर्मित सामुदायिक भवन को निम्नानुसार वक्फिया सम्पत्ति के तौर पर पंजीयन/इजाफा कराने के लिये धारा 41 के अंतर्गत आवेदन दिया है. जिस पर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36 के अंतर्गत विधिवत नोटिस एवं सूचना पत्र जारी किये गये, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. उक्त वक्फ से संबंधित आवेदन साक्ष्य व शासकीय अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न सम्पत्ति पूर्व से ही वक्फ घोषित है.

प्रशासक महोदय के आदेशानुसार उक्त वक्फ पंजीयन क्रमांक 13/06 पर पंजीकृत वक्फ ख्वाजा मस्जिद राधोगढ़ गुना की भूमि पर निर्मित सामुदायिक भवन का इन्द्राज/इजाफा धारा 41 के अंतर्गत वक्फ पंजीयन रजिस्टर जिला गुना के क्रमांक 13/06 में दर्ज किया गया.

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टी वक्फ पंजी में की गई है
वक्फ ख्वाजा मस्जिद राधोगढ़ गुना	खसरा क्र. 100 रकबा 4.400 हैक्टेयर में से 0.024 हैक्टेयर पर निर्मित सामुदायिक भवन.

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे.

(प्रशासक महो. द्वारा अनुमोदित)

(शेख हसरूद्दीन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-300)

क्र. 48/आर-गुना/2021

भोपाल, दिनांक

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)

ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल

(अंतर्गत धारा 41 वक्फ अधिनियम 1995)

वक्फ इस्लामिया स्कूल मोहल्ला पठानों की चौकी राघोगढ़ गुना में श्री इकबाल अहमद शेख अध्यक्ष वक्फ अंजुमन इस्लामिया स्कूल राघोगढ़ गुना, निवासी-पठानों की चौकी कस्बा राघोगढ़ गुना द्वारा उक्त पंजीयन क्रमांक 30/12 पर पंजीकृत वक्फ इस्लामिया स्कूल मोहल्ला पठानों की चौकी राघोगढ़ गुना की संपत्ति में दो प्लॉट को निम्नानुसार वक्फिया सम्पत्ति के तौर पर पंजीयन/इजाफा कराने के लिये धारा 41 के अंतर्गत आवेदन दिया है. जिस पर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 36 के अन्तर्गत विधिवत नोटिस एवं सूचना पत्र जारी किये गये, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. उक्त वक्फ से संबंधित आवेदन साक्ष्य व शासकीय अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न सम्पत्ति पूर्व से ही वक्फ घोषित है.

प्रशासक महोदय के आदेशानुसार उक्त वक्फ पंजीयन क्रमांक 30/12 पर पंजीकृत वक्फ इस्लामिया स्कूल मोहल्ला पठानों की चौकी राघोगढ़ गुना की संपत्ति में दो प्लॉट का इन्द्राज/इजाफा धारा 41 के अंतर्गत वक्फ पंजीयन रजिस्टर जिला गुना के क्रमांक 30/12 में दर्ज किया गया.

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टी वक्फ पंजी में की गई है
वक्फ इस्लामिया स्कूल मोहल्ला पठानों की चौकी राघोगढ़ गुना	प्लॉट रकबा 62×50 एवं प्लॉट रकबा 50×31/1/2

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे.

(शेख हसरूद्दीन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-301)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म :-में. सन्मति प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज के नाम से एक भागीदारी फर्म है. इस फर्म में दिनांक 21-11-2016 से एक भागीदार श्रीमती ज्योति जैन पति श्री सुनील जैन निवासी 828, शाही नाका, गढ़ा, जबलपुर (मध्यप्रदेश) शामिल हो रही है एवं तीन भागीदार निम्न :-

- (1) शुभम् जैन पिता अमरेश कुमार जैन निवासी 1266/1, शाही नाका गढ़ा, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
- (2) सचिन जैन पिता अशोक जैन निवासी 744, रामलीला मैदान, गढ़ा, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
- (3) सौरभ जैन पिता सुनील जैन निवासी 76, लार्डगंज जैन मंदिर जवाहरगंज, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

उक्त दिनांक 21-11-2016 से रिटायर हो गए हैं. एवं उक्त दिनांक से फर्म में केवल दो पार्टनर हैं. यह सूचना रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी के लिए प्रेषित की गयी है.

पार्टनर ज्योति जैन पार्टनर-शैलेष जैन
निवासी 828, शाही नाका, गढ़ा,
जबलपुर (मध्यप्रदेश)

(G-302)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
(कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इंदौर मध्यप्रदेश)

क्रमांक/876/रीडर-1/22

जूनी इंदौर, दिनांक 28 जनवरी 2022

विज्ञप्ति (फार्म चार)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

जैन दिवाकर साहित्य पीठ पता 23/1, पीर गली, कृष्णपुरा तिलकपथ, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

जैन दिवाकर साहित्य पीठ पता	:	23/1, पीर गली, कृष्णपुरा तिलक पथ, इन्दौर
अचल संपत्ति	:	23/1/2, कृष्णपुरा तिलक पथ इन्दौर.
चल संपत्ति	:	रुपये 1,50,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-303)

क्रमांक/879/रीडर-1/21

विज्ञप्ति (फार्म चार)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

विद्यापूर्ण चेरिटेबल फाउण्डेशन पता-पी-1, प्री प्रिमियर, प्लाट नं. 77, शक्ति नगर, पिपल्याहाना, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

विद्यापूर्ण चेरिटेबल फाउण्डेशन पता	:	पी-1, प्री प्रिमियर, प्लाट नं. 77, शक्ति नगर, पिपल्याहाना, इन्दौर
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	रुपये 51,000/- (अक्षरी रुपये इक्यावन हजार मात्र)

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

(G-304)

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

मण्डलेश्वर, दिनांक 11 जनवरी 2022

फार्म-चार
सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास
अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0002-बी-1131 (1) 2021-22.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनिल पिता कैलाश यादव, निवासी उंकारदत्त कॉलोनी महेश्वर तह. महेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश न्यासधारी एवं अध्यक्ष द्वारा “स्वामी श्री भक्तानंदजी सरस्वती पारिमार्थिक न्यास महेश्वर” पता श्री भक्तानंदजी आश्रम वार्ड नं. 02 नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर तहसील महेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः, मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 22 फरवरी 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जावेगा:—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1.	न्यास का नाम	:	“स्वामी श्री भक्तानंदजी सरस्वती पारिमार्थिक न्यास महेश्वर” तहसील महेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश.
2.	न्यास का पता	:	श्री भक्तानंदजी आश्रम वार्ड नं. 02 नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर तहसील महेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश.
3.	चल सम्पत्ति	:	12,221/-
4.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक

यह सूचना आज दिनांक 11 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

ओमनारायण सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

(G-305)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल

क्रमांक 640-अ.वि.अ.-वृत्त गो.-2022

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2022

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952
के नियम 5 (1) के अन्तर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

1. आवेदकगण अजय कीर्ति जैन, वीरेन्द्र कुमार अजमेरा, पंकज जैन, श्री गौरव जैन, आशीष जैन, जितेन्द्र जैन, शैलेन्द्र जैन, जैनपाल जैन, बालचन्द्र जैन, प्रकाश चन्द जैन और विनोद जैन की संस्था "श्री दिगम्बर जैन अभिरूचि आराधना न्यास" के द्वारा म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 21 मार्च 2022 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री दिगम्बर जैन अभिरूचि आराधना न्यास"
2. न्यास कार्यालय का पता	:	जूनियर एचआईजी-16, अभिरूचि परिसर, पुराना सुभाष नगर भोपाल, म. प्र.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक
4. चल सम्पत्ति	:	निरंक

मनोज वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-306)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जोबट, जिला अलीराजपुर (म. प्र.)

प्र. क्र. 0002-B-113-2021-22

जोबट, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

फार्म नंबर-चार

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत
नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जोबट के समक्ष

आवेदक राधेश्याम पिता मोहनलाल राठौर, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी, निवासी ग्राम बोरी, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत "माँ अम्बे ट्रस्ट" ग्राम कोल्याबयडा, तहसील जोबट को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन करने बाबद् आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस प्रकाशन के 01 माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा अभिभाषक के जरिये न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें. नियत समयवाधि के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 30-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(श्यामबीर IAS)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार.

(G-307)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं लोक न्यास, पंजीयक, अनुभाग लहार
जिला भिण्ड**

प्र. क्र. 0002-ब-113-2021-22-1223

लहार, दिनांक 13 जनवरी 2022

प्रारूप-4

[देखिए नियम 5(1)]

सार्वजनिक सूचना

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 धारा 5 की उपधारा (2) और म. प्र.
लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुभाग लहार जिला भिण्ड के समक्ष

यतः कि श्री भिक्कू आनंद मित्र गुरु बुद्धसागर निवासी मोरखी बड़ी तहसील मिहोना, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन में वर्णित उद्देश्यों के लिये लोक न्यास संघ भूमि ट्रस्ट भिण्ड मुख्यालय स्थान-मोरखी बड़ी तहसील, मिहोना के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन दिया है। एतद्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 11 फरवरी 2022 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

अतः मैं, अनुभाग लहार, जिला भिण्ड का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 11 फरवरी 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | संघ भूमि ट्रस्ट, भिण्ड |
| 2. लोक न्यास का पता | : | मोरखी बड़ी, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म. प्र.) |
| 3. लोक न्यास की संपत्ति | : | आ. क्र. 69 रकबा 3.400 हे. में से रकबा 0.60 हे.
संबंधित लोगों से दान/सदस्यता आदि से धन एकत्रित करना। |

आर. ए. प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

(G-308)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर

प्र. क्र. 02-बी-113(1) 2019-20

मंदसौर, दिनांक 7 फरवरी 2022

नियम चार

[नियम 5 (1) देखिए]

सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास
नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष

गुरुदेव श्री गौतममुनि जी म. सा. प्रथम चेरिटीबल ट्रस्ट, मंदसौर मध्यप्रदेश

चूंकि गुरुदेव श्री गौतममुनि जी म. सा. प्रथम चेरिटीबल ट्रस्ट मंदसौर द्वारा मुख्य न्यासधारी-अध्यक्ष प्रवीण कुमार पिता श्री वल्लभ जी बघेरवाल, निवासी खानपुरा मंदसौर, तहसील मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन

अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी 2022 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः मैं, बिहारी सिंह, पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. अचल संपत्ति | : | निरंक |
| 2. चल संपत्ति | : | निरंक |
| 3. लोक न्यास का नाम | : | गुरुदेव श्री गौतममुनि जी म. सा. प्रथम चेरिटीबल ट्रस्ट मंदसौर, मध्यप्रदेश. |

बिहारी सिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-309)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, लखनादौन, जिला-सिवनी

रा.प्र.क्र. 0001-बी-113-2021-22

लखनादौन, दिनांक 8 फरवरी 2022

ग्राम-डुंगरिया छपारा, प.ह.नं. 42
रा.नि.मं. एवं तहसील-छपारा, जिला सिवनी

प्ररूप-क्र. 4

[देखिए नियम 5(1)]

सूचना-पत्र

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और
(मध्यप्रदेश) लोक न्यास नियम, 1962 नियम 5(1) देखिये (पंजीयन)]

लोक न्यास-छपारा (सिवनी जिले की संस्था)

चूंकि "दिगम्बर जैन पंचायत, छपारा तहसील छपारा, जिला सिवनी" डुंगरिया छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी में संचालित आवेदक श्री रमेशचन्द्र पिता फूलचंद जैन, निवासी जैन वार्ड छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी (मध्यप्रदेश) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन (मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 30 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत के लिये आवेदन किया है।

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास लखनादौन, जिला सिवनी का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी 2022 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट की चल सम्पत्ति : एक रथ लकड़ी का/दो बड़ी पाण्डुक शिला चांदी की वजन 30 किलो/दो छोटी पाण्डुक शिला चांदी की वजन 12 किलो/आठ झारी चांदी की वजन 4 किलो/चार कोपर चांदी की वजन 10 किलो/बीस थाली चांदी की वजन 12 किलो/250 कलश चांदी के वजन 13 किलो/12 स्तापदानी चांदी के वजन 500 ग्राम/6 कटोरा चांदी के गंदोदत वाले वजन 2 किलो/20 प्लेट चांदी की वजन 1 किलो/चांदी के सिंहासन एवं क्षत्र वजन 10 किलो/2 झारी सोने की वजन 1.300 ग्राम/5 कलश सोने के वजन 250 ग्राम/सोने के छत्र वजन 120 ग्राम/दो प्रतिमा चांदी की 10 किलो/एक वेदी चांदी की वजन 170 किलो/एक पालकी चांदी की 18 किलो/शांति विधान माड़ना चांदी का वजन 15 किलो/चांदी के दो हाथी, आठ नग अष्टप्रातीहार, 71 के.जी. / दस मुकुट वजन 10 किलो/दान में प्राप्त चांदी वजन 200 किलो/सोना 500 ग्राम.
2. ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति :
 1. ग्राम डुं. छपारा, प.ह.नं. 42 स्थित भूमि ख. नं. 121 रकबा 5.73 हे.
 2. ग्राम डांगावानी, प.ह.नं.17 स्थित भूमि ख. नं. 381, 407, 408 रकबा क्रमशः 4.35, 17.11,0.16 हे.
 3. ग्राम डुं. छपारा, प.ह.नं. 42 स्थित आबादी भूमि ख. नं. 605 में से रकबा 0.14 हे. (14770 वर्गफुट) पर जैन मंदिर निर्मित है.

चल-अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के नाम रहेगी.

नाम व पता : "दिगम्बर जैन पंचायत, छपारा तहसील छपारा, जिला सिवनी" डुंगरिया छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी.

(आज दिनांक को ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा द्वारा जारी)

जारी दिनांक - 08 फरवरी 2022

सुनवाई दिनांक - 09 मार्च 2022

सिद्धार्थ जैन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-310)

न्यायालय, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 250-प्रवा-01-2022

रायसेन, दिनांक 9 फरवरी 2022

(प्रारूप 3 नियम 4 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट)

स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास स्थान रायसेन तहसील व जिला रायसेन द्वारा प्रबंधक/अध्यक्ष प्रमुख न्यासी श्री स्वामी निजानंदतीर्थ आयु वयस्क निवासी स्वामी शिवोम आश्रम, मुकजी नगर, रायसेन, तह. व जिला रायसेन, म. प्र. के द्वारा नियुक्त न्यासधारी सदस्य जी. एस. ठाकुर आ. वी. एल. ठाकुर आयु वयस्क निवासी-वार्ड नं. 12 दुर्गा नगर, रायसेन आवेदक

. विरुद्ध

सर्वसाधारण द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष रायसेन जिला रायसेन अनावेदक

लोक न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रारूप अनुसार

लोक न्यास के मामले में न्यास का नाम व पता:—

स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास रायसेन तहसील व जिला रायसेन मध्यप्रदेश.

1. मैं जी. एस. ठाकुर आ. श्री वी. एल. ठाकुर आयु वयस्क न्यासधारी स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास रायसेन का होकर उपरोक्त न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता हूँ.

2. मैं जी. एस. ठाकुर न्यासधारी निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ:—

(एक). लोक न्यास की उत्पत्ति, स्वरूप एवं उद्देश्य—

स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास वर्ष 1981 से स्थापित किया गया है जिसका पंजीयन पूर्व में कराया गया था किन्तु रखरखाव में त्रुटि होने के कारण न्यास का अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका तथा पंजीयन लोक न्यास रायसेन से भी पूर्व अभिलेखों की जानकारी चाही गई थी तो अधिक समय हो जाने के कारण वह भी उपलब्ध नहीं हो सकी है. अवलोकन हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है. स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास द्वारा उत्पत्ति, स्वरूप एवं उद्देश्यों के समबन्ध में प्रथक से नियम व संविधान बनाया गया है जो अवलोकन हेतु संलग्न है.

(दो). लोक न्यास कार्यालय का पता—

स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास रायसेन मुकजी नगर रायसेन तहसील व जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

(तीन). न्यासधारी सदस्यों, कार्यकारिणी, प्रबंधक, व्यवस्थापक के नाम, पद व उनके पते:—

1. श्री स्वामी निजानंद तीर्थ अध्यक्ष, व्यवस्थापक निवासी—

स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास रायसेन, मुकजी नगर रायसेन तहसील व जिला रायसेन.

2. श्री टी. पी. विश्वकर्मा आ. स्व. राम रतन विश्वकर्मा उपाध्यक्ष निवासी—35, 36 ओम शिव नगर लालघाटी गुफा मंदिर के सामने भोपाल.

3. श्री के. जी. श्रीवास्तव आ. गिरजा प्रसाद सचिव, निवासी—मुकजी नगर रायसेन जिला रायसेन.

4. श्री जी. एस. ठाकुर आ. बी. एल. ठाकुर कोषाध्यक्ष निवासी—वार्ड नं. 12 दुर्गा नगर रायसेन.

5. श्री संजीत सिंह जाट आ. स्व. नफे सिंह जाट सह. सचिव निवासी—खरगावली, रायसेन.

6. श्री यशवन्त सिंह मीणा आ. स्व. मनफूल मीणा सदस्य निवासी—ग्राम माना रायसेन.

7. श्री अरविन्द चौवे आ. श्री आर. सी. चौवे सदस्य निवासी—जहांगीराबाद, भोपाल.

8. श्रीमति प्रीती बाला सोनकर आ. स्व. श्री भोला राम सदस्य निवासी—अर्जुन नगर, रायसेन.

9. श्रीमति अनीता दुबे आ. वी. एल. दुबे, सदस्य निवासी—भोपाल.
 10. श्री देवेन्द्र भटोरे आ. कमल सिंह भटोरे सदस्य निवासी—मुकर्जी नगर, रायसेन.
 11. श्रीमति रजनी दुबे आ. ओम दुबे सदस्य निवासी—नारायण नगर, भोपाल.
 12. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा आ. उमराव प्रसाद शर्मा सदस्य निवासी—अवंतिका कालोनी, रायसेन.
 13. श्री संजय सक्सेना आ. स्व. श्री हरिनारायण सक्सेना, सदस्य निवासी—मुकर्जी नगर, रायसेन.
- (चार). न्यासधारी सदस्यों, कार्यकारिणी सदस्यों, व्यवस्थापक/प्रबंधक की रिक्ती—पूर्ती वावत रीति—अध्यक्ष परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज के द्वारा मनोनीत किये गये सदस्य होंगे एवं अध्यक्ष को अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा. कार्यकारिणी को अध्यक्ष चुनने, पृथक करने का अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने का कोई अधिकारी नहीं होगा.
- (पांच). न्यास को सृजित करने वाली लिखापढ़ी का विवरण—स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास रायसेन की बैठक दिनांक 15-01-2022 को आहुत की गई जिसमें ट्रस्ट के पंजीयन की कार्यवाही सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है.
- (छः). न्यास से सम्बन्धित योजना व सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रस्ताव के संबंध में स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास रायसेन द्वारा विद्यालय का संचालन किया जा रहा है जिसकी देखरेख न्यास द्वारा समय-समय पर प्रबंध किया जाना रहेगा. एवं सुविधानुसार व्यवस्था करने का अधिकार न्यास का होगा.
- (सात). सम्पत्ति का विवरण जो न्यास के पास है:—स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम के पास स्वयं के स्वत्व स्वामित्व की भूमि/प्लाट/भवन मंदिर है. जिसके स्वत्व के दस्तावेज सूची अनुसार प्रस्तुत है चल एवं अचल सम्पत्ति शामिल है.
- (आठ). न्यास की आय के साधन:—स्वामी शिवोम तीर्थ न्यास रायसेन द्वारा निर्मित मंदिर से दान आदि से प्राप्त आय एवं विद्यालय संचालन से प्राप्त आय से संपूर्ण व्यय की व्यवस्था की जाती है. आय न्यास का अवलोकन हेतु सूची अनुसार संलग्न है.

अनुमानित आय—व्यय निम्न है:—

वार्षिक औसत आय—

दान आदि से प्राप्त—

वार्षिक औसत व्यय—

कर्मचारियों एवं मंदिर की व्यवस्था व विद्यालय की व्यवस्था में व्यय—

(नौ). अभियुक्तियों यदि कोई हो—नवीन संशोधन द्वारा न्यास शुल्क एवं अन्य प्रोसेस बावत् शुल्क 100/- रु. रसीद क्रमांक, दिनांक को अदा किया.

(दस). न्यास से संबंधित कोई सूचना व न्यायधारी को निम्न पते पर प्रेषित की जावे—स्वामी शिवोम तीर्थ आश्रम न्यास रायसेन मुकर्जी नगर, रायसेन पोस्ट रायसेन थाना रायसेन तहसील व जिला रायसेन मध्यप्रदेश.

(ग्यारह). घोषणा न्यासधारी द्वारा की गई घोषणा-पत्र:—

घोषणा

मैं, जी. एस. ठाकुर आ. वी. एल. ठाकुर निवासी वार्ड नं. 12 दुर्गा नगर आयु वयस्क रायसेन न्यास के पंजीयन बावत् घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित न्यास से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं शासकीय अभिलेखों तथा मेरे विश्वास से सत्य व सही है. आज दिनांक तक उक्त न्यास के संबंध में कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है. और न ही कोई आवेदन-पत्र निरस्त हुआ है.

न्यासधारी के हस्ता.

सत्यापन

मैं, जी. एस. ठाकुर आ. वी. एल. ठाकुर आयु वयस्क निवासी वार्ड नं. 12 दुर्गा नगर, रायसेन का होकर शपथपूर्वक सत्यपित करता हूँ कि आवेदन-पत्र में वर्णित पद क्र. 01 लगायत 11 में दी गई जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास से सत्य व सही है सत्यापन मेरे द्वारा आज दिनांक को स्थान रायसेन में किया गया.

न्यासधारी के हस्ता.

संलग्न दस्तावेज सूची अनुसार निम्न है:—

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

एल. के. खरे
अनुविभागीय अधिकारी,
एवं रजिस्ट्रार रायसेन.

(G-311)

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2022

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल]

क्र.-909-रीडर-2022.—आवेदक श्री गीत अजय धीर निवासी 51, श्यामला रोड, भारत भवन के पास, भोपाल द्वारा “हिन्दुस्तान विचार फाउंडेशन” को ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 16-03-2022 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हों तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता
कार्यालय का पता
अचल सम्पत्ति
चल सम्पत्ति

“हिन्दुस्तान विचार फाउंडेशन”
51, श्यामला रोड, भारत भवन के पास, भोपाल.
कुछ नहीं.
100/- (सौ रुपये)

जमील खान
रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट.

(G-312)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल

भोपाल, दिनांक 09 फरवरी 2022

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

क्र.-649-अ.वि.अ.-वृत्तगो.-22.—जैसा कि आवेदक श्री रामगोपाल बंसल (अध्यक्ष सद्विप्र फाउंडेशन) आ. श्री नन्मूल जी बंसल निवासी-जी-2, 144, ए सेक्टर इन्द्रपुरी भोपाल (म. प्र.) के द्वारा संस्था "सद्विप्र फाउंडेशन" कार्यालय-जी-2, 144-ए सेक्टर, इन्द्रपुरी भोपाल (म. प्र.) के द्वारा म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 21-03-22 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता:—

कार्यालय—

न्यास कार्यालय का पता:—

अचल सम्पत्ति:—

चल सम्पत्ति

"सद्विप्र फाउंडेशन"

जी-2, 144-ए सेक्टर, इन्द्रपुरी भोपाल म. प्र.

जी-2, 144-ए सेक्टर, इन्द्रपुरी भोपाल म. प्र.

निरंक

11,000/-

मनोज वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार

(G-313)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर, महु, जिला इन्दौर

महु, दिनांक 28 जनवरी 2022

प्रारूप—तृतीय

(नियम 5(1) देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

प्र. क्र.-01-बी-113(1)-2021-22.—एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक डॉ. अम्बेडकर नगर महु जिला इन्दौर के समक्ष यह कि आवेदक अध्यक्ष "सोमवंशीय महार समाज डॉ. अम्बेडकर नगर महु" का लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 25 फरवरी 2022 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता व लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम

सोमवंशीय महार समाज डॉ. अम्बेडकर नगर, महु

2. चल सम्पत्ति

11,000/-

3. अचल सम्पत्ति

नहीं है.

अक्षत जैन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.

(G-314)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

(कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इंदौर मध्यप्रदेश)

जूनी इंदौर, दिनांक 28 जनवरी 2022

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश
ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अंतर्गत

क्र.-867-रीडर-1-22.—श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जिनालय पारमार्थिक ट्रस्ट पता-92/93, शिखरजी ड्रीम, ग्राम अरण्डिया, तलावलीचौदा, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

जया शांती कोठारी चेरिटेबल ट्रस्ट पता—
अचल सम्पत्ति—
चल सम्पत्ति

107/ए, अग्रवाल नगर, नवलखा पुलिस चौकी के पीछे, इन्दौर
निरंक.
रुपये 587662/- (अक्षरी रुपये पांच लाख सत्यासी हजार छः
सौ बासठ मात्र)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार

(G-315)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2021—फल्गुन 6, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)